बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
BSEIDC
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001:OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Acharya Shivpujan Sahay Path,Saidpur, Patna - 800 004
Tel, No. : 0612 - 2660850 Fax No. : 0612 - 2660256
E-mail : bseidc@gmail.com Website : http://www.bseidc.in CIN : U80301BR2010SGC015859

कार्यालय आदेश

संख्याः— 173 दिनांकः— 20/09/2022

द्वितीय अपीलीय प्राधिकार—सह—अपर मुख्य सचिव, शिक्षा द्वारा अपील पर लिये गये निर्णय के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिकनोटवा, मधेपुरा के भवन निर्माण एवं शौचालय हौज निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गयी है। लोक प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा का प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिकनोटवा, प्रखंड—घैलाढ़, मधेपुरा का भवन निर्माण एवं शौचालय हौज निर्माण कार्य की जाँच की गयी, जो मानक एवं प्राक्कलन के अनुसार नहीं किया गया है। इसके लिए कार्य करनेवाले एजेंसी (संवेदक) एवं संबंधित अभियंता पूर्णतः दोषी है। संबंधित दोषी अभियंता एवं संवेदक के विरूद्ध नियमानुकूल निर्णय लेने का निदेश अद्योहस्ताक्षरी को प्राप्त हुआ।

तद्आलोक में अवनीश इंटरप्राइजेज, संवेदक से निगम कार्यालय पत्रांक—5240, दिनांक—07.07.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की पृच्छा की गयी। स्पष्टीकरण स्वीकार्य योग्य नहीं है।

यद्यपि विद्यालय भवन दिनांक—29.12.2015 को पूर्ण कर Hand Over कर दिया गया था एवं Defect Liability 3 वर्षों तक ही मान्य होती है और और यह परिवाद Defect Liability के लगभग 2 वर्षों के पश्चात् दिनांक—30.08.2020 को दायर किया गया।

अवनीश इंटरप्राइजेज द्वारा किये गये एकरारनामा में उल्लेखित प्राक्कलन एवं मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य नहीं किया गया। जिसके कारण भवन निर्माण कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टयों के अनुरूप नहीं हो पाया। अतएव 41वीं निदेशक पर्षद की बैठक के एजेंडा संख्या—12/41 के निर्णयानुसार BSEIDC द्वारा प्रख्यापित ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के शर्तों में दण्ड के प्रावधान के क्रम संख्या—1 (C) के आलोक में संवेदक अवनीश इंटरप्राइजेज, II-C93,नेहरू नगर, गाजियाबाद (उ०प्र०) प्रतिष्ठान के निबंधन को दस वर्षों के लिए कालीकृत करने का निर्णय लिया जाता है।

अनुलग्नकः—यथोपरि।

ह०/—
प्रबंध निदेशक
BSEIDC, पटना

ज्ञापांकः—BSEIDC/ADMIN/561/2022- दिनांकः—

प्रतिलिपिः—अवनीश इंटरप्राइजेज, II-C93,नेहरू नगर, गाजियाबाद (उ०प्र०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—
प्रबंध निदेशक
BSEIDC, पटना

ज्ञापांकः— BSEIDC/ADMIN/561/2022- दिनांकः—

प्रतिलिपिः—मुख्य अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/—
प्रबंध निदेशक
BSEIDC, पटना

ज्ञापांकः— BSEIDC/ADMIN/561/2022- 7145 दिनांकः— 20/09/2022

प्रतिलिपिः—महाप्रबंधक (प्रशासन)/वरीय लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। श्री अरविन्द कुमार, परामर्शी (ICT) वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रबंध निदेशक
BSEIDC, पटना

बिहार सरकार

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001; OHSAS 18001
Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004
Tel. No.: 0612 - 2660850 • Fax No.: 0612 - 2660256
E-mail: bseidc@gmail.com • Website: http://www.bseidc.in • CIN: U80301BR2010SGC015859

कार्यालय--आदेश

संख्या– 73

पटना, दिनांक–03/06/2022

सूचना

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम (BSEIDC), शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् कैंपस, आचार्य शिवपूजन सहाय पथ, सैदपुर, पटना–800004 के अंतर्गत सभी श्रेणियों में निबंधित संवेदक अथवा निगम की निविदाओं में भाग लेने वाले निविदाकारों के लिए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2012 लागू थी। इस सूचना के माध्यम से सभी संबंधित संवेदकों को सूचित किया जाता है कि निगम के निदेशक पर्षद की 41 वीं बैठक के निर्णयानुसार बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम में प्रख्यापित ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2012 के शर्तो में निम्नलिखित दंड प्रावधानों को लागू किया गया है जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

क्र० सं०	कदाचार	कालीकरण की अवधि
1.	एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक	
	(A) कार्य एकरारनामा को RESCIND किये जाने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
	(B) किये गये कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक रहने एवं कार्य एकरारनामा को RESCIND किये जाने पर।	पन्द्रह वर्षो के लिए कालीकृत
	(C) एकरारनामा के एक से अधिक शर्तो का उल्लंघन तथा इस संबंध में सूचना एवं चेतावनी देने के बावजूद भी अपेक्षित सुधार नहीं लाने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
	(D) संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अंतरित अथवा चालू विपत्र में FRAUD पाये जाने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
	(E) DEFECT LIABILITY PERIOD (DLP) में निर्मित योजनाओं का विहित संधारण नहीं किये जोने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
2.	संबंधित पदाधिकारी या कर्मचारी को अभित्रासित करने या उनपर हमला करने के लिए।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
3.	ठीकेदार द्वारा सरकारी समान जैसे सिमेंट, स्टील एवं अलकतरा इत्यादि बेचते हुए पाये जाने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
4.	ठीकेदार द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिए गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि एवं गलत कागजात समर्पित करने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
5.	एक से अधिक बार कार्य आंवटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।	दस वर्षो के लिए कालीकृत
6.	किसी अपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता होने पर।	दस वर्षो के लिए कालीकृत अथवा न्यायालय द्वारा संसूचित सजा की अवधि जो अधिक हो।
7.	ठीकेदार द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे ठीकेदार अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश क सौंपने पर (सबलेटिंग)।	पाँच वर्षो के लिए कालीकृत
8.	पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–4104 (ई०) दिनांक–28.10.2009 की उत्तरवर्ती कंडिका के आलोक में यथा प्रावधानित एक से अधिक उपबंधित कदाचारों में सलिप्त पाये जाने पर।	पन्द्रह वर्षो के लिए कालीकृत

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड पटना, के ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2012 के अन्य शर्ते यथावत रहेंगे।

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक– BSEIDC/TECH/997/2022 – 4178 पटना, दिनांक– 02/06/2022

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (मु०)/सभी क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्री अजय कुमार कार्यपालक अभियंता मुख्यालय को सभी संवेदकों को E-Mail के माध्यम से सूचना हेतु सूचनार्थ प्रेषित। निगम वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, कम्प्यूटर प्रोग्रामर को सूचनार्थ प्रेषित। SBD के Clause में सम्मलित करने/निविदा का Part बनाने हेतु श्री मनोज रंजन सहायक अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक–BSEIDC/TECH/997/2022 – 4178 पटना, दिनांक– 02/06/2022

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, , पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रबंध निदेशक